

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 21/6-2004 S-1 (4) दिनांक, चण्डीगढ़ 19.6.2004

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हैप्पी चाइल्ड उच्च विद्यालय गढी ब्राह्मणान, सोनीपत को कक्षा 1 से 10वीं तक को सम्बधता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 23/746-2001 S-1 (2) दिनांक 24.10.2001 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० वर्तमान विद्यालय (विद्यालय कोड नं० बाद में जारी किया जायेगा)

आर० एम० लांगायन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठाकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 19-6-04

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

1. प्रबन्ध समिति, बालियांन एंजुकेशन सोसाईटी, छोटू राम कालोनी सोनीपत। वह नियम 38 के अन्तर्गत अलग से समुचित अधिकारी को आवेदन करेगा।
2. सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत
4. मास्टर फाईल।

19/6/04
ऑफिसर इन्चार्ज विद्यालय
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

D:\AOs\monitoring cell\issued noc\happy child bramid -sonipat.doc

Harinder Gema

Manager
Happy Child Sr. Sec. School
Mehlana Road, Sonipat-131001

Principal
Happy Child Sr. Sec. School
Mehlana Road, Sonipat